कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12.12.2025

विषय:- थाना शिवपुर क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मणपुर (शारदा विहार कालोनी) में घटित महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण, थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफ़र वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 73640/- रु0 नगद, विभिन्न प्रकार के आभूषण व दस्तावेज बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निकट पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के कुशल नेतृत्व में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा **“ऑपरेशन चक्रव्यूह”** के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-553/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित प्रकाश में आये वांछित 02 नफ़र अभियुक्त/अभियुक्ता 01. मोहित यादव पुत्र बच्चालाल यादव निवासी एसएच 3/5 मीरापुर बसही थाना शिवपुर जनपद वाराणसी व 02. अंजली चौहान पत्नि मोहित यादव पुत्री नागेन्द्र चौहान निवासी नवलपुर बसही थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक 12.12.2025 को शिवपुर रेलवे स्टेशन वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 73640/-रु0 नगद, विभिन्न प्रकार के पीली व सफेद धातु के आभूषण व कुछ दस्तावेज बरामद हुए। उक्त गिरफ़्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा 50,000/- रू0 पुरस्कार की घोषणा की गयी।

घटना का विवरण/अपराध का तरीका-

अभियुक्त मोहित यादव अपनी पत्नी अभियुक्ता अंजली चौहान के साथ मृतिका अनूपमा पटेल उर्फ सीता के घर के पास शारदा बिहार कालोनी लक्ष्मणपुर थाना शिवपुर वाराणसी किराये पर रहता था। मृतिका घर से ही पैकेट का दूध बेचने का काम करती थी। दूध खरीदने के दौरान मृतिका का अभियुक्त मोहित यादव से परिचय हो गया था और आना जाना था। चूंकि मृतिका की कोई संतान नहीं थी और वह अभियुक्त से सम्बन्ध स्थापित कर संतान उत्पन्न करना चाहती थी, जिसके लिए अभियुक्त पर दबाव बनाती थी और ऐसा

न करने पर पुलिस से शिकायत कर फंसाने की धमकी देती थी। अभियुक्त ने पूरी बात को अपनी पत्नी अभियुक्ता अंजली चौहान से शेयर किया और दोनों ने यह तय किया कि इसे रास्ते से हटा देते हैं। अभियुक्त एवं अभियुक्ता दोनो मिश्रा होम स्टे काली माता मंदिर पाण्डेयपुर में रूके हुए थे और दिनांक-11.12.2025 की सुबह मृतिका के घर के लिए चल दिये। मृतिका के घर से पहले अभियुक्ता अंजली चौहान रूक गयी और अभियुक्त मोहित यादव घर के पीछे के रास्ते से घर में घुसकर मृतिका को घर में पड़े सामान पत्थर का सिल व स्टील के ड्रम से सिर, चेहरे व गर्दन पर वार कर हत्या कर दिया तथा मृतिका के पहने हुए जेवर व आलमारी में रखे हुए जेवरात नगद रूपये पैसे लेकर घर से बाहर आया। खून से सने कपड़ों को अभियुक्ता अंजली चौहान की साल से ढककर टैम्पो पकड़कर भोजूबीर होते हुए वापस मिश्रा होम स्टे काली माता मंदिर पाण्डेयपुर में रूक गये थे। आज दिनांक-12.12.2025 को बाहर भागने की फिराक में रेलवे स्टेशन शिवपुर आये थे जहां गिरफ्तार होने के पश्चात घटना के समय पहने हुए कपड़ों को एक झाड़ी में फेकने की बात स्वीकार कर बरामद कराये तथा अभियुक्त एवं अभियुक्ता के कब्जे से घटना कारित किये जाने के पश्चात मृतिका के जेवरात व घर से प्राप्त रूपये पैसे दोनों के कब्जे से बरामद हुए।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-</u>

01. मोहित यादव पुत्र बच्चालाल यादव निवासी एसएच 3/5 मीरापुर बसही थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 21 वर्ष।

02. अंजली चौहान पत्नि मोहित यादव पुत्री नागेन्द्र चौहान निवासी नवलपुर बसही थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 21 वर्ष।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-</u> दिनांक 12.12.2025 को शिवपुर रेलवे स्टेशन वाराणसी से।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

01- विभिन्न प्रकार के पीली व सफेद धातु के आभूषण (01 जोड़ी बड़ा कान का झुमका, 01 अदद चेन, 01 अदद अंगूठी, 01 जोड़ी टप्स, 01 जोड़ी छोटा कान का झुमका, 01 अदद नाक की कील, 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 01 जोड़ी हाथ फूल सफेद धातु, 01 अदद कमर करधनी, 01 अदद पैर का पायल)।

02- कुल 73640/-रु0 नगद।

03- अन्य दस्तावेज- मृतका अनुपमा उर्फ सीता का एक अदद पैन कार्ड, 01 अदद आधार कार्ड बरामद।

<u>संबंधित अभियोग/आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 0553/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0192/2025 धारा 305(a),317(2) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार सोनकर, उ0नि0 कृष्ण कुमार सरोज, उ0नि0 गौरव सिंह, उ0नि विद्या सागर चौरसिया, उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार, म0उ0नि0 प्रतिभा शाही, हे0का0 लवकुश कुमार, म0का0 पिंकी गौड़, हे0का0 राम बाबू, का0 नितेश कुमार तिवारी, का0 बालमुकुन्द मौर्या थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।